

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी-श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-70/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.मानाराम पुत्र सालगराम		1.मदनलाल पुत्र आसुराम जाति दर्जी
2.हीराराम पुत्र सालगराम		निवासी कितपाला तहसील पचपदरा
3.सवाईलाल पुत्र आसुराम		2.सांवलराम पुत्र कोहलाजी जाति सुथार
जाति दर्जी निवासी कितपाला		निवासी कितपाला तहसील पचपदरा जिला
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		बालोतरा
		3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
		पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक- 16.08.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा कितपाला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 465/13 क्षेत्रफल 0.8256 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 06.06.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर पक्षकारान का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा कितपाला लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा

कितपाला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 465/13 क्षेत्रफल 0.8256 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्ट. में)	किरम भूमि	लगान	वर्ग
1	मानाराम पुत्र सालगराम कौम दर्जी सा. देह खातेदार	कित्तपाला	465 / 13	0.2064	बा.दो	0.20	आसमानी
2	हीराराम पुत्र सालगराम कौम दर्जी सा. देह खातेदार	कित्तपाला	465 / 13	0.2064	बा.दो	0.20	मुलाबी
3	सवाईलाल, मदनलाल पि. आसुराम कौम दर्जी सा. देह खातेदार	कित्तपाला	465 / 13	0.2064	बा.दो	0.21	भूरा
4	सांवलाराम पुत्र कोहलाराम कौम सुथार सा. देह खातेदार	कित्तपाला	465 / 13	0.2064	बा.दो	0.21	हरा

तहसीलदार, पंचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण


भरकर बाद जांच तरदीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।


(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

**मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा**

पीठासीन अधिकारी:—श्री राजेश कुमार,आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.मानाराम पुत्र सालगराम		1.मदनलाल पुत्र आसुराम जाति दर्जी
2.हीराराम पुत्र सालगराम		निवासी कितपाला तहसील पचपदरा
3.सवाईलाल पुत्र आसुराम		2.सांवलराम पुत्र कोहलाजी जाति सुथार
जाति दर्जी		निवासी कितपाला तहसील पचपदरा
निवासी कितपाला		3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 70/2023

निर्णय दिनांक :-16.08.2023

वादीगण की ओर से श्री बाबुलाल सांखला अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की ओर से श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.08.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि:—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 16.08.2023 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 16.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।





(राजेश कुमार)

**सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा**

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्श के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	-----
6.कमिश्नर की फीस	-----	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			
जोड़	-	जोड़	-----



**सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा**